# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0न0:– 54 / 2020
निर्णय दिनांकः– 22.07.2021
पीठासीन अधिकारीः– गौरीशंकर शर्मा आर0ए0एस0

1. भंवरलाल शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा
2. गिर्राज शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा
3. ऋषिकेश शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा
4. नोरती देवी पत्नि मदनलाल शर्मा

समस्त जातियान बारागॉव ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फागी तह0 फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. मदन लाल शर्मा पुत्र सुजा लाल जाति बारागॉव ब्राहमण निवासी फागी जिला जयपुर।
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सरकारी अस्पताल के पास फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी तह0 फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील वादीगण
श्री गोपाल लाल चौधरी वकील प्रतिवादी सं01

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 22 / 07 / 2021

वाद पत्र के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि खाता सं0 306 के ख0न0 4359, 4541 / 1, 4542 / 1, 4546, 4547, 4562 / 1, 4580 / 1, 7553 / 1, 7651, 7652 / 1, 7660, 7662 / 1, 8361, 8395, 8396, 8398, 8399, 8430 कुल किता 18 कुल रकबा 6.1835 है0 भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है जो वादी सं0 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1 / 5 – 1 / 5 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1 / 5 हिस्सा निहित है तथा इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। आराजी भूमि वर्णित मद न0 1 वाद पत्र मौरूसी मुश्तर्का पुश्तैनी सम्पति रही है। जो पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के दादा / पिता / ससुर सुजालाल के नाम रही है। वाद पत्र के मद नं0 1 मे वर्णित आराजी वादीगण के दादा / ससुर से प्रतिवादी सं0 1 के नाम फौती नामान्तकरण से आई है तथा वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के जायन्दा वारिस है जिसमे वादीगण का हिन्दू

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत विरासतन हिस्सा निहित है। उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम लगी होने का फायदा उठाकर आराजी भूमि को अपने हिस्से से अधिक का दिगर व्यक्तियों को बैचान करने की फिराक मे है जबकि उक्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा निहित है जिसकी वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है। अभी हाल ही मे दिनांक 19/08/2020 को जब वादीगण अपने हिस्से की आराजी मे बोई हुई फसल की देखभाल कर रहे थे तो प्रतिवादी सं0 1 कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ मौके पर आया तथा वादीगण की कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी जिस पर वादीगण मौके पर काबिज काश्त है पर सं प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण को अपना कब्जा हटा देने की धमकी दी अन्यथा जबरन कब्जे से बेदखल कर बोई हुई फसल को अपने कब्जे काश्त मे ले लेने की ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी मेरे नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका मै साथ आये व्यक्तियों को बैचान करूगा तथा तुम्हे भूमि से बेदखल करूगां। प्रतिवादी सं0 1 कसे कोंई कानूनी हक व अधिकार नही है कि वो आराजी अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने का नाजायज फायदा उठाकर अपने हिस्से से अधिक आराजी का बैचान दिगर व्यक्तियों को कर दिया तो वादीगण को उनके जन्मजात हक व अधिकार से महरूम होना पडेगा। वादीगण को वाद कारण दिनांक 19.08.2020 को प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादीगण को उक्त भूमि का बैचान कर वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है जो वाद वादीगण उत्पन्न होने के कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकारान की विवादित आराजीयात मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे होने से श्रीमान न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की और से वकील श्री गोपाल लाल चौधरी उपस्थित आये तथा इकबालिया जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब दावे

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

मे वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

प्रतिवादी सं0 2 की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किये जाने के बाबजूद भी कोई उपस्थित नही आये इसलिये दिनांक 15/07/2021 को प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रतिवादी सं0 3 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब नही देना जाहिर किया।

साक्ष्य हेतु वादी सं0 1 ने भंवरलाल शर्मा पुत्र मदनलाल ने शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण का वाद मुताबिक इकबालिया जबाब दावा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी दक्षिण का खाता सं0 306 प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 2 लगायत 5 मुताबिक भू–प्रबन्ध सैटलमेन्ट सम्वत 2011 – 2030 के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। प्रतिवादी सं0 1 को उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जबाब मे वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण आराजीयात मे वादीगण का हिस्सा निहित होना जाहिर होता है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 306 के ख0न0 4359, 4541/1, 4542/1, 4546, 4547, 4562/1, 4580/1, 7553/1, 7651, 7652/1, 7660, 7662/1, 8361, 8395, 8396, 8398, 8399, 8430 कुल किता 18 कुल रकबा 6.1835 है0 भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात मे से वादीगण 1 लगायत 4 व प्रतिवादी सं0 1 को प्रत्येक को 1/5 – 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय की पालना बैंक का नो डुयूज प्राप्त होने पर सुनिश्चित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/07/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
**अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)**
**बइजलास– गौरी शंकर शर्मा (आर.ए.एस.)**

उनवान

1. भंवरलाल शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा
2. गिर्राज शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा
3. ऋषिकेश शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा
4. नोरती देवी पत्नि मदनलाल शर्मा
   समस्त जातियान बारागॉव ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फागी तह० फागी जिला जयपुर।

बनाम

1. मदन लाल शर्मा पुत्र सुजा लाल जाति बारागॉव ब्राहमण निवासी फागी ज़िला जयपुर।
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सरकारी अस्पताल के पास फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी तह० फागी जिला जयपुर।

## ::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु०न०:– 54 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री प्रेमचन्द शर्मा हाजिर रूबरू प्रतिवादी वकील श्री गोपाल लाल चौधरी, पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 306 के ख0न0 4359, 4541/1, 4542/1, 4546, 4547, 4562/1, 4580/1, 7553/1, 7651, 7652/1, 7660, 7662/1, 8361, 8395, 8396, 8398, 8399, 8430 कुल किता 18 कुल रकबा 6.1835 है0 भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात मे से वादीगण 1 लगायत 4 व प्रतिवादी सं0 1 को प्रत्येक को 1/5 – 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।**

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... .....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/07/2021 को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....

मुहर

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबुत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | NIL | | फीस कमीश्नर | NIL | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर